



UPMB180014182025

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़, महोबा।

पीठासीन अधिकारी- (SHISHIR YADAV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP04601

एफ० आर० नं०-18/2025

संग्राम सिंह बनाम अज्ञात।

मु०अ०सं०-70/2025

धारा-303(2) बी०एन०एस०।

थाना-महोबकण्ठ, जिला महोबा।

दिनांक-22.07.2026

पत्रावली पेश हुई।

थाना कुलपहाड़ द्वारा मु०अ०सं०-70/2025, अंतिम रिपोर्ट संख्या-10/2025 अन्तर्गत धारा- 303(2) बी०एन०एस० की विवेचना के पश्चात अंतिम आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। वादी मुकदमा को जरिये नोटिस सूचना प्रेषित की गयी। नोटिस तामील होकर वापस न्यायालय को प्राप्त हुआ। परंतु पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा नोटिस तामील होने के उपरान्त न्यायालय उपस्थित नहीं आया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह उपरोक्त मामलें में कोई रुचि नहीं ले रहा है तथा वह पुलिस द्वारा उपरोक्त मामलें में लगाई गई एफआर सं०- 10/2025 से संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में मामलें में कार्यवाही हेतु कुछ शेष नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या संख्या- 10/2025 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम आख्या संख्या-10/2025, एफआर वाद सं० (18/2025) स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिशिर यादव)

न्यायिक मजि०, कुलपहाड़,
महोबा

जे०ओ० कोड यू०पी० 4601